कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 1133 दिनांक :– 09/11/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/ROAD/46818/2020) के संबंध में**

प्रसंग :– 1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 866 दिनांक 26.07.2023 एवं 1253 दिनांक 30.10.2023
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 2165 दिनांक 27.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/ROAD/46818/2020) वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 866 दिनांक 26.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा Online तथा Hard Copy प्राप्त हुई थी। प्राप्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ परिलक्षित होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक 838 दिनांक 16.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई, जिसका निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 2165 दिनांक 27.09.2023 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 1253 दिनांक 30.10.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।

प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित किया जाता है :–

1. प्रस्ताव को प्रयोक्ता अभिकरण ने विहित प्रपत्र Form-A (Part-I) में समर्पित किया है। प्रस्ताव में अपयोजित होने वाली वनभूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

प्रमंडल का नाम	परियोजना का नाम	अधिसूचित वनभूमि (हे0)	जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि (हे0)	कुल वन भूमि (हे0)	गैर वनभूमि (हे0)	कुल (हे0)	घनत्व
रामगढ़ वन प्रमंडल	Approach Road for Basantpur-Tapin Coking Coal Washery	0.00	2.12	2.12	0.16	2.12	0.3

- साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि यह प्रस्ताव गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि रकवा–2.12 हे0 का है जो कोतरे बंसतपुर पचण्डा कोल ब्लॉक परियोजना की सहायक (Auxiliary) परियोजना है। साथ ही KBP Mines के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार है। इस परियोजना के लिए अलग से वन्यजीव प्रबंधन योजना की आवश्यकता नहीं है, परन्तु वन प्रमण्डल पदाधिकारी ,रामगढ़ वन प्रमण्डल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन विभाग हेतु चेक नाका आदि का निर्माण किये जाने की आवश्यकता बतलाया गया है, जिस पर विचार किया जा सकता है।

2. प्रस्ताव के साथ (Authorization) प्राधिकृत पदाधिकारी का पत्र संलग्न है।

3. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं गैर भूमि का भूमि विवरणी एवं सारांश की प्रति संलग्न है।

4. प्रस्ताव के साथ Cost Benefit Analysis संलग्न है।

5. प्रस्ताव के साथ पथ निर्माण से संबंधित Justification संलग्न है।

6. विषयक पथ निर्माण में Rehabilitation & Resettlement Plan की आवश्यकता नहीं है, से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रमाण–पत्र (Undertaking) संलग्न है।

7. विषयक पथ निर्माण में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इससे संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

8. प्रस्ताव के साथ वनभूमि एवं रैयती भूमि में पड़ने वाले वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। इस परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–110 प्रतिवेदित है।

9. NPV, CA एवं अन्य मदों में माँगी गई राशि जमा करने संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

10. विषयक पथ निर्माण में अपयोजित होने वाले वनभूमि दो मौजा यथा पचण्डा एवं बसन्तपुर पड़ता है जिसमें क्रमशः मौजा पचण्डा में 1.51 हे0, एवं मौजा बसन्तपुर में 0.61 हे0 कुल 2.12 हे0 गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि सन्निहित है। उपायुक्त, रामगढ़ के पत्र संख्या 225 दिनांक 14.02.2022 द्वारा 5.25 एकड (2.12 हे0) गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत है।

11. उपायुक्त रामगढ़ के पत्र संख्या–595/wcl दिनांक 01.09.2021 द्वारा पहुच पथ निर्माण हेतु प्रस्ताव में सन्निहित जंगल झाड़ी वनभूमि 5.25 एकड (2.12 हे0) के लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न है। विषयक पहुँच पथ निर्माण में अपयोजित होने वाले वनभूमि के लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् हुई ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

12. प्रस्ताव के साथ विषयक पथ निर्माण से संबंधित डी0पी0आर0 की प्रति संलग्न है।

13. प्रस्ताव के साथ Geo-reference Map संलग्न है।

14. प्रस्ताव के साथ टोपोमैप के स्केल 1:50000 पर पथ निर्माण को दर्शाते हुए संलग्न है।

15. प्रस्ताव के साथ पथ जिन गांवों से होकर गुजरेगी उसके मानचित्र पर पथ निर्माण को जंगल–झाड़ी भूमि एवं गैर वनभूमि को अलग–अलग रंगो से दर्शाते हुए संलग्न है।

16. विषयक पथ निर्माण से संबंधित Layout Plan 1:10,000 Scale पर दर्शाते हुए संलग्न है।

17. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रामगढ़ वन प्रमंडल में 2.12 हे0 के विरूद्ध दो गुणे कुल 4.240 हे0 अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है जो निम्नवत् है :–

Name of Division	Name of Village	Thana & Thana No.	Plot No.	Gross Area (in ha.)	Net Area (in ha.)
Ramgarh	Bongabar	Mandu/153	170,166,167	5.42	4.240

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा Topo Sheet Geo reference map वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं स्थल विशिष्ट योजना प्राक्कलन संलग्न है।

18. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल का पार्ट–2 की प्रति संलग्न है।

19. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ वन प्रमंडल का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंशा संलग्न है।

20. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो द्वारा जारी किया गया Part III संलग्न है।

21. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य Part-IV संलग्न है।

22. प्रस्तावित परियोजना में CWLW का मंतव्य अपेक्षित है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिसे प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायेगा।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विषयगत पहुँच पथ निर्माण हेतु कुल 2.12 हे0 वनभूमि अपयोजन के लिए अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत है। मानक शर्त्तों पर इस परियोजना हेतु लोकहित में अनुसंशा की जाती है।

अतः इस परियोजना हेतु प्राप्त प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0– यथोक्त्।

विश्वासभाजन,

09/11/22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

9-11

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Approach Road for Basantpur-Tapin Coking Coal Washery 2.12ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 2.12 ha of Forest land.

Date :- 09.11.2023

Place :- Ranchi

Signature

(Shashikar Samanta)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो-827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० - 8987790301

पत्रांक : .... दिनांक : ....

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,

बोकारो।

विषय :– सी०सी०एल० की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1040 दिनांक 17.10.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सी०सी०एल० की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 838 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए निराकरण प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन पूर्व में समर्पित किया गया है, जिसके आलोक में पुनः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1040 दिनांक 17.10.2023 के द्वारा पृच्छा संख्या–3 का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के पत्रांक 2334 दिनांक 25.10. 2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि पृच्छा संख्या–3 के आलोक में अपयोजित वनभूमि को भूमि चरित्र के अनुसार अलग–अलग रंगों में दर्शाते हुए परिवेश पोर्टल बिन्दु संख्या–C-(ii)-b में segment wise details कॉलम में अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० / –

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

105

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)
Email id – dfo-ramgarh@gov.in Telephone No-06553-296061

पत्रांक– 2334 दिनांक– 25/10/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :– सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक–838 दिनांक 16.08.2023 एवं पत्रांक–1040 दिनांक 17.10.2023

2. आपका कार्यालय ज्ञापांक–1236 दिनांक 18.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संदर्भ में पृच्छा संख्या–03 का पूर्ण अनुपालन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित वन भूमि को भूमि चरित्र के अनुसार अलग–अलग रंगों मे दर्शाते हुए परिवेश पोर्टल बिन्दु संख्या–C –(ii)-b में segment wise details कॉलम में Upload कर दी गई है।

सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

आपका विश्वासी,

Nitish 25/X/23

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।

ज्ञापांक– 2334 दिनांक– 25/10/2023

प्रतिलिपि – 1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो को सूचनार्थ समर्पित।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित

Nitish 25/X/23

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।

आवक सं0 3266
दिनांक 27/10/2023

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 1040 राँची, दिनांक :– 17.10.23

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल।

विषय :– **सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/ROAD/46818/2020) के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. इस कार्यालय का पत्रांक 838 दिनांक 16.08.2023
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 2165 दिनांक 27.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र–1 द्वारा तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी जिसका निराकरण प्रतिवेदन आपके कार्यालय पत्रांक 2165 दिनांक 27.09.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है। परन्तु पृच्छा संख्या–3 का पूर्ण निराकरण अबतक अप्राप्त है।

कृपया परिवेश पोर्टल में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत प्रस्ताव के संपूर्ण KML का Alignment अलग–अलग रंगों में एक साथ दर्शाते हुए अपलोड कराने की कृपा की जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक – 1040 दिनांक – 17.10.2023

प्रतिलिपि :– मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाऊस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/x/23
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।
17-10

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO-827013

: - 06542-265440 Email – rccf-bokaro@gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक : 2165 दिनांक : 27/09/23

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 838 दिनांक 16.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भवदीय के प्रासंगिक पत्र द्वारा सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के क्रम में तीन बिन्दुओं पर वचनबद्धता एवं प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

उक्त निदेश के आलोक में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 1131 दिनांक 22.09.2023 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल से प्राप्त बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	सरकार द्वारा की गई पृच्छा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन	मंतव्य
1	Undertaking regarding barest and minimum use of forest land.	Barest and minimum use of forest land का Undertaking संलग्न किया जा रहा है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) पत्र दिया गया है, जो अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।
2	Undertaking regarding any work carried out in violation of the act or guideline issued under 1980	Any work carried out in violation of the Act or guideline issued under 1980 का Undertaking संलग्न किया जा रहा है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) पत्र दिया गया है, जो अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।
3	विषयगत प्रस्ताव के सम्पूर्ण KML का Alignment सही नहीं है। इसमें मात्र तीन Patch प्रदर्शित हो रही है। उसे अलग–अलग रंगों में एक साथ Alignment दर्शाया जाय।	विषयगत प्रस्ताव के सम्पूर्ण KML का Alignment का प्रावधान परिवेश पोर्टल में न होने के कारण उसे दर्शाया नहीं जा सका। अतः आपके आदेशानुसार पुरे रोड को रेखांकित कर अलग–अल रंगों	वांछित प्रतिवेदन का Soft copy Pen Drive के रूप में संलग्न है।

क्र0 सं0	सरकार द्वारा की गई पृच्छा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन	मंतव्य
		से दर्शाते हुए KML File, Pen Drive में Upload कर संलग्न किया जा रहा है। इसमें गैर मजरूआ जंगल झाड़ी जमीन को पीले रंग से, रैयती जमीन को नीले रंग से के0बी0पीव परियोजना के अन्दर के Patch जो कि FC Stage-I अनुमोदित है उसे गुलाबी एवं के0बी0पी0 परियोजना के Leasehold को आसमानी रंग से दशार्या गया है।	

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :— यथोक्त।

आपका विश्वासी

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरुलिया रोड, चास, बोकारो-827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

पत्रांक : 1131 दिनांक : 22/09/2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 838 दिनांक 16.08.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के क्रम में तीन बिन्दुओं पर वचनबद्धता एवं प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के पत्रांक 1888 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा उपरोक्त निर्देश के आलोक में बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	सरकार द्वारा की गई पृच्छा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन	मंतव्य
1	Undertaking regarding barest and minimum use of forest land.	Barest and minimum use of forest land का Undertaking संलग्न किया जा रहा है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) पत्र दिया गया है, जो अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।
2	Undertaking regarding any work carried out in violation of the act or guideline issued under 1980	Any work carried out in violation of the Act or guideline issued under 1980 का Undertaking संलग्न किया जा रहा है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) पत्र दिया गया है, जो अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।
3	विषयगत प्रस्ताव के सम्पूर्ण KML का Alignment सही नहीं है। इसमें मात्र तीन Patch प्रदर्शित हो रही है। उसे अलग–अलग रंगों में एक साथ Alignment दर्शाया जाय।	विषयगत प्रस्ताव के सम्पूर्ण KML का Alignment का प्रावधान परिवेश पोर्टल में न होने के कारण उसे दर्शाया नहीं जा सका। अतः आपके आदेशानुसार पुरे रोड को रेखांकित कर अलग–अल रंगों	वांछित प्रतिवेदन का Soft copy Pen Drive के रूप में संलग्न है।

क्र0 सं0	सरकार द्वारा की गई पृच्छा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन	मंतव्य
		से दर्शाते हुए KML File, Pen Drive में Upload कर संलग्न किया जा रहा है। इसमें गैर मजरूआ जंगल झाड़ी जमीन को पीले रंग से, रैयती जमीन को नीले रंग से के0बी0पी0 परियोजना के अन्दर के Patch जो कि FC Stage-1 अनुमोदित है उसे गुलाबी एवं के0बी0पी0 परियोजना के Leasehold को आसमानी रंग से दर्शाया गया है।	

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छः प्रतियाँ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

22-9-23

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

22/09/2023

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in Telephone No-06553-296061

पत्रांकः– 1888 दिनांकः– 11/09/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

FCAct
Rani
21/9/2023
Time
4:40 Pm

विषय :– **सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक–838 दिनांक 16.08.2023**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयगत परियोजना के संदर्भ में की गई त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन 08 प्रतियों में निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	सरकार द्वारा की गई पृच्छा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन	वन प्रमंडल पदाधिकारी का मंतव्य।
1	Undertaking regarding barest and minimum use of forest land.	barest and minimum use of forest land का Undertaking संलग्न किया जा रहा है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा (Undertaking) पत्र दिया गया है, जो अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।
2	Undertaking regarding any work carried out ion violation of the act or guideline issued under 1980	any work carried out in violation of the act or guideline issued under 1980 का Undertaking संलग्न किया जा रहा है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा (Undertaking) पत्र दिया गया है, जो अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।
3	विषयगत प्रस्ताव के सम्पूर्ण KML का Alignment सही नहीं है। इसमें मात्र तीन Patch प्रदर्शित हो रही है। उसे अलग–अलग रंगों में एक साथ Alignment दर्शाया जाय।	विषयगत प्रस्ताव के सम्पूर्ण KML का Alignment का प्रावधान परिवेश पोर्टल में न होने के कारण उसे दर्शाया नही जा सका। अतः आपके आदेशानुसार पुरे रोड को रेखांकित कर अलग–अल रंगों से दर्शाते हुए KML File, Pen Drive मे Upload कर संलग्न किया जा रहा है।	वांछित प्रतिवेदन का Soft copy Pen Drive के रूप में संलग्न है।

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो-827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

85

पत्रांक : 866 दिनांक : 26-07-2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

–सह–

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,

झारखण्ड, राँची।

निशीश कुमार

विषय :– **सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल का पत्रांक 1450 दिनांक 17.07.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के द्वारा मौजा–बसंतपुर एवं पचण्डा के अंतर्गत सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

प्रस्तावित अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

2253 27/7/2023

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	जिला	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे0 में)	जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि का रकवा (हे0 में)	अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि का रकवा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1.	रामगढ़ वन प्रमण्डल	रामगढ़	0.00	2.12	2.12

अपयोजन हेतु प्रस्तावित 2.12 हे0 वनभूमि के दोगुने क्षेत्रफल के बराबर अवकृष्ट वनभूमि कुजू प्रक्षेत्र के बोंगाबार मौजा में उपयुक्तता प्रमाण–पत्र के साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0सं0	प्रमण्डल का नाम	जिला	मौजा का नाम	थाना/थाना नं0	शुद्ध रकवा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1.	रामगढ़ वन प्रमण्डल	रामगढ़	बोंगाबार	माण्डू/153	4.24

साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल ने उल्लेख किया गया है कि यह प्रस्ताव गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि रकवा–2.12 हे0 का है जो कोतरे बसंतपुर पचण्डा कोल ब्लॉक परियोजना की सहायक (Auxiliary) परियोजना है। साथ ही KBP Mines के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार है। इस परियोजना के लिए अलग से वन्यजीव प्रबंधन योजना की आवश्यकता नहीं है, परन्तु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन

प्रमण्डल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन विभाग हेतु चेक नाका आदि का निर्माण किये जाने की आवश्यकता बतलाया गया है, जिस पर विचार किया जा सकता है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्रस्तुत वनभूमि अपयोजन के Justification एवं Purpose wise break-up से सहमति व्यक्त की गई है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के अनुशंसा से अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

उपर्युक्त प्रस्ताव की Online uploading की कार्रवाई भी पूर्ण कर ली गयी है।

इस पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल से प्राप्त प्रस्ताव निम्न अभिलेखों के साथ 06 (छः) प्रतियों में संलग्न कर अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों की विवरणी चेक लिस्ट में संलग्न है।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

25-7-23

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

25/7/2023

CHECK LIST

सी0सी0एल0 की बसंतपुर तापिन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वन भूमि अपयोजन के लिए समर्पित प्रस्ताव के साथ वांछित अभिलेख/प्रतिवेदन/विवरणी।

1.	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि हस्तांतरण के लिए प्रयोक्ता एजेंसी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियों के साथ सूचना कार्यकारी निदेशक–सह–नाभिक, पदाधिकारी बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करानी है।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संलग्न।
2.	वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत समर्पित प्रस्ताव स्थल विशिष्ट होने पर ही भारत सरकार द्वारा वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है।	प्रस्ताव स्थल विशिष्ट है।
3.	1:50,000 के स्केल वाले गूगल टोपो मानचित्र पर लोकेशन मैप।	संलग्न।
4.	मेजर मिनरल के मामलों में इण्डियन ब्यूरो ऑफ माईन्स द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान, भारत सरकार के उपक्रम कोल कम्पनी एवं अन्य उपक्रमों के लिए सी0एम0पी0डी0आई0 द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान।	लागु नहीं है।
5.	वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सहित रिक्लेमेशन प्लान।	लागु नहीं है।
6.	सेफ्टीजोन के संबंध में स्पष्ट सूचना (नक्शे पर 7.5 मी0 चौडी पट्टी के रूप में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित एवं अंतर्ग्रस्त वन भूमि के रकबा की पहचान सहित)।	लागु नहीं है।
7.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विशलेषण (Cost Benefit Analysis)	लागु नहीं है।
8	परियोजना के संबंध में ग्राम पंचायत की आम सभा/स्थानिय निकाय की स्पष्ट अनुशंसा सहित रिज्युलुशन की प्रति।	संलग्न है।
9.	यदि प्रस्ताव में गैर मजरूआ भूमि अंतर्ग्रस्त है तो इस संबंध में उपायुक्त/भू–राजस्व विभाग, राज्य सरकार का अनापति प्रमाण–पत्र की प्रति।	संलग्न है।
10.	एक हेक्टेयर वन भूमि से ज्यादा वन भूमि हस्तांतरण के बदले में समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराना एक बाध्यकारी शर्त है। समतुल्य गैर वन भूमि का विस्तृत विवरण (वन प्रमण्डल पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं गैर वन भूमि के क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्वीकार योग्य होने, उसके अतिक्रमण मुक्त होने एवं अधिभार मुक्त होने संबंधी प्रमाण पत्र सहित)। भारत सरकार के उपक्रम या भारत सरकार के योजनाओं के मामले में समतुल्य वन भूमि के स्थान पर दुगुने क्षेत्रफल में वन भूमि पर वृक्षारोपण का खर्च देना बाध्यकारी है।	प्रस्तावित वन भूमि के के विरूद्ध चयनित स्थल पर दो गुणे वन भूमि क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण योजना का वनरोपण खर्च एवं चयनित स्थल की विवरणी पार्ट–2 में संलग्न है।
11.	स्थल विशिष्ट क्षतिपूरक वनरोपण योजना।	संलग्न है।
12.	जिले एवं राज्य से संबंधित मूल–भूत सूचनाऐं।	Part-II में अंकित है।
13.	प्रस्तावित वन भूमि के उपयोग के संबंध में स्पष्ट रूप से "आईटम वाईज ब्रेकअप ऑफ लैण्ड" की विवरणी।	Part-I में अंकित है।

14.	5 (पांच) हेक्टेयर से अधिक वन भूमि अपयोजन वाली परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental clearance) तथा environment impact assessment report.	लागु नहीं है।
15.	नई परियोजना हेतु प्रयोक्ता संस्थान का brief profile तथा नये माईनिंग लिज की आवश्यक औचित्य से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन।	लागु नहीं है।
16.	लोगों की विस्थापन की स्थिति में विस्थापितों के लिए विस्तृत पुनर्वास योजना।	विस्थापन की आवश्यकता नहीं है।
17.	प्रभावित होनेवाले वृक्षों की गणना सूची।	संलग्न है।
18.	प्रस्तावित वन भूमि के वन्य प्राणी के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने की स्थिति में मुख्य वन प्रतिपालक की अनुशंसा/मंतव्य।	वन्य प्राणी प्रबंधन योजना की आवश्यकता नहीं है।
19.	यदि प्रस्तावित वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी आश्रयणी का हिस्सा हेतु इसके लिए वानिकी कार्य हेतु अपयोजन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वानुमति।	प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
20.	भारत सरकार के निर्देशानुसार गैर स्थल विशिष्ट योजना (non site specific project) स्वीकृति सामान्यतः नहीं दी जाती है। भारत सरकार वन एवं वन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से आरक्षित वन में वन भूमि अपयोजन के मामले में विशेष रूप से सजग रखती है। ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं दी जाती है।	प्रस्ताव स्थल विशिष्ट है।
21.	प्रस्ताव पर स्वीकृति होने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी से विभिन्न मदों में लिए जानेवाली राशि की विवरणी :– (क) वन संरक्षण अधिनियम के तहत् प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार समीक्षोपरांत भारत सरकार को भेजती है। (ख) भारत सरकार दो चरणों में प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करती है। प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रयोक्त एजेंसी को राज्य सरकार के पक्ष में निम्न मदों में राशि देनी पडती है I. नेट प्रेजेंट भेल्यू :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार एन0पी0भी0 की वसूली प्रति हेक्टेयर 9.57780 लाख से 13.57110 लाख की जाती है जो वनों के घनत्व, क्वालिटी इत्यादि पर निर्धारित की जाती है। II. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु होनेवाली खर्च की वसूली। III. सेफटीजोन का घेरान एवं पुर्नजनन का खर्च IV. यदि प्रासंगिक क्षेत्र वन्य प्राणी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हिस्सा है तो ऐसी स्थिति एवं वन्य प्राणियों पर होनेवाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु तैयार किये गये योजना का वित्तीय सम्पोषण प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाना है।	प्रस्ताव प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु अग्रसारित। वचनबद्धता संलग्न है। वचनबद्धता संलग्न है। लागु नहीं है। वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की आवश्यकता नहीं है। लागु नहीं है। लागु नहीं है। लागु नहीं है।

	V. प्रस्तावित वन भूमि पर वन पदार्थ का मूल्य। VI. वन पदार्थ के मूल्य का सेल टैक्स एवं टी0ओ0टी0/मार्केटिंग टैक्स। VII. वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में पेनल क्षतिपूरक वनरोपण का खर्च।	
22.	FRA के तहत प्रमाण पत्र।	संलग्न है।
23.	प्रस्तावित क्षेत्र का डिजिटल नक्शा शेप–फाईल (Shape file) में Geo-reference कराया हुआ।	संलग्न है।
24.	पार्ट–I की प्रति Online/Offline	संलग्न है।
25.	पार्ट–II की प्रति Online/Offline	संलग्न है।
26	विषयगत प्रस्ताव का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।	संलग्न है।
27	विषयगत प्रस्ताव पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल का Recommendation Certificate	संलग्न है।
28	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल का Toposheet Map.	संलग्न है।
29	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल का Geo-reference Map.	संलग्न है।
30	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल का KML File.	संलग्न है।
31	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्ता प्रमाण पत्र।	संलग्न है।
32	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल का स्थल विशिष्ट प्राक्कलन।	संलग्न है।
33	पार्ट–III में वन संरक्षक की अनुशंसा।	संलग्न है।

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)
Email id – dfo-ramgarh@gov.in Mobile No-8987790306

पत्रांकः– 1450 दिनांकः– 17/7/23

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :– **सी0सी0एल0 की बंसतपुर तापीन कोल वाशरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में। (FP/JH/ROAD/46818/2020)**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स सी0सी0एल0 की बंसतपुर तापीन कोल वाषरी पहुँच पथ निर्माण हेतु 2.12 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा–बसंतपुर एवं पचण्डा में प्राप्त प्रस्ताव का पार्ट–2 परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए चेकलिस्ट के साथ 08 (आठ) प्रतियों में हस्ताक्षरित करते हुए आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव गैर मजरूआ जंगल झाड़ी दर्ज भूमि रकबा–2.12 हे0 का है तथा कोतरे बसंतपुर पंचडा कोल ब्लॉक परियोजना के सहायक (Auxiliary)परियोजना है साथ ही साथ यह भी सूचित करना है कि KBP Mines के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार है। इस परियोजना के लिए अलग से वन्यजीव प्रबंधन योजना की आवश्यकता नहीं है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी के Site Inspection Report में कुछ Specific Mitigation measures अंकित है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव के संदर्भ में यथोचित अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,
17/7/23
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।